

मूल वाद में डिफ्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....कोटकासिम

पीठासीन अधिकारी:- बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस

उनवान

बनाम.....
लक्ष्मी नारायण मतेरी

दावा बाबत.....53.....


मुकदमा नम्बर :- 49/11.3.2016

निर्णय दिनांक:- 1-7-2016

वादी की ओर से लक्ष्मी नारायण की व प्रतिवादी की ओर से मतेरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 1-7-16 को बलवन्तसिंह लिग्री, आरएएस, उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम(अलवर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिफ्री दी जाती है कि:- वादीगण का वाद 54

इस प्रकार डिफ्री किया जाता है कि आदेशों ख.नं. 603/0.20, 750/0.31, 767/0.34 क्रिया 3 तथा 1.05 क्रिया 4 के द्वारा लक्ष्मी नारायण द्वारा मुकदमा नं. 49/11.3.2016 का वाद को हल किया है ख.नं. 589/0.17, 598/0.25, 602/0.15, 605/0.17, 603/0.09, 604/0.15 क्रिया 6 तथा 0.38 के द्वारा प्रतिवादी मतेरी पर न्यायिक अदालत अदालत (नोरगपुर तह. जिला गुडगावा (दो.) की अदालत में लक्ष्मी नारायण द्वारा रिफाई के अक्षय करवाए किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 1-7-16 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


(बलवन्तसिंह लिग्री)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.कलक्टर,कोटकासिम
कैम्प कोर्ट - कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		अर्जी के लिये स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपयों पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

